



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19090/2026

नीरज कुमार

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

लोक नाथ शुक्ला, प्रेम शंकर

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 41/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 111(3), 61(2), 308(6) भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66(सी), 66(डी) के तहत, पुलिस थाना रेउना, जिला कानपुर नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 37 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है और अपीलार्थी सहित 20 आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 22 मोबाइल फोन, कुछ जाली आधार कार्ड और एटीएम कार्ड सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस के समक्ष अपीलार्थी के इकबालिया बयान के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी 8.4.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी और अन्य सह-आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं और उनके खिलाफ चार शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 37 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और अपीलार्थी सहित 20 आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 22 मोबाइल फोन, कुछ जाली आधार कार्ड और एटीएम कार्ड सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने की बात स्वीकार की है और इसके अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **नीरज कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- (iii) अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- (iv) अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अपीलार्थी और जमानतदारों के दूरभाष संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 (2024)

10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

2 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।